

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना (2011) के अनुसार 2020 (अनुमानित)	0.69 करोड़ 0.73 करोड़
3.	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)	109 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी०
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत= 21.90%)	8.10%
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6.	क) शिशु मृत्यु दर (2017) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 33) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2013-17) (अखिल भारतीय औसत = 69.4)	22 72.9
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 (₹ करोड़ में)	1,65,472
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2019-20)	10.82 (विशेष श्रेणी राज्य : 11.24)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर							
		2010-11 से 2018-19		2014-15 से 2018-19		2018-19 से 2019-20	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियाँ	12.26	11.77	12.85	14.76	-9.88	-0.67
ख	कर राजस्व	13.29	9.58	11.8	6.26	-8.1	0.67
ग	कर-भिन्न राजस्व	13.92	6.62	22.55	7.98	-19.72	-11.61
घ	कुल व्यय	12.56	10.11	12.45	10.98	-6.05	5.42
ड.	पूँजीगत व्यय	11.41	12.48	14.74	16.68	-15.6	12.88
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	12.75	10.25	12.41	9.10	-8.16	4.54
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.5	12.02	17.07	11.21	-4.96	9.66
ज	वेतन एवं मजदूरी	12.05	8.24	12.45	7.42	-7.07	4.74
झ	पेंशन	16.56	11.35	16.52	14.30	3.05	10.35

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की सूचना (2011), हिमाचल प्रदेश का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

परिशिष्ट-2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.1 तथा 2.4.1; पृष्ठ 20 तथा 33)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	23,440	26,264	27,367	30,950	30,742
(i) कर राजस्व	6,696 (29)	7,039 (27)	7,108(26)	7,573(24)	7,624(25)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	1,833(26)	3,343(44)	3,550(47)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,993 (60)	4,382 (63)	2,526(36)	1,185(16)	1,170(15)
राज्य उत्पाद	1,131 (17)	1,308 (19)	1,311(18)	1,482(20)	1,660(22)
वाहन कर	317 (5)	280 (4)	367(5)	408(5)	466(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	206 (3)	209 (3)	229(3)	251(3)	260(4)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	551(8)	372(5)	361(5)	487(7)	101(1)
भू-राजस्व	7(-)	8(-)	17(-)	8(-)	5(-)
माल व यात्री कर	115 (2)	121(2)	112(2)	104(1)	104(1)
अन्य कर	376(5)	359(4)	352(5)	305(4)	308(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,837 (8)	1,717 (6)	2,364(9)	2,830(9)	2,501(8)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	3,611 (15)	4,344 (17)	4,801(17)	5,430(18)	4,678(15)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,296 (48)	13,164 (50)	13,094(48)	15,117(49)	15,939(52)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	35	9	2
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	26	30	40	22	21
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	23,466	26,294	27,442	30,981	30,765
5. लोक ऋण प्राप्तियां	6,129	8,603	5,600	6,427	10,847
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	4,294 (70)	6,831 [#] (79)	5,118(91)	4,864(76)	7,333(67)
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)	1,496(23)	3,444(32)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	50 (1)	101 (1)	82(2)	67(1)	70(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	29,595	34,897	33,042	37,408	41,612
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	11,515	13,630	14,680	16,121	22,569
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	41,110	48,527	47,722	53,529	64,181
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	22,303	25,344	27,053	29,442	30,730
आयोजनागत	3,493(16)	4,520(18)	3,772(14)	4,263(14)	4,028(13)
आयोजनेत्तर	18,810(84)	20,824(82)	23,281(86)	25,179(86)	26,702(87)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	8,788(39)	9,728 (38)	11,009(41)	11,438(39)	12,335(40)
सामाजिक सेवाएं	7,980 (36)	9,610 (38)	10,337(38)	11,482(39)	12,047(39)
आर्थिक सेवाएं	5,525 (25)	5,996 (24)	5,697(21)	6,512(22)	6,338(21)
सहायता अनुदान व अंशदान	10 (-)	10 (-)	10(-)	10(-)	10(-)
11. पूंजीगत व्यय	2,864	3,499	3,756	4,583	5,174
आयोजनागत	2,568(90)	3,115(89)	3416(91)	4,102(90)	4,820(93)
आयोजनेत्तर	296(10)	384(11)	340(9)	481(10)	354(7)
सामान्य सेवाएं	88(3)	208 (6)	192(5)	227(5)	204(4)

सामाजिक सेवाएं	792(28)	1,041 (30)	1,135(30)	1,187(26)	1,258(24)
आर्थिक सेवाएं	1,984(69)	2,250 (64)	2,429(65)	3,169(69)	3,712(72)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	463	3,290 [®]	503	468	458
13. योग (10+11+12)	25,630	32,133	31,312	34,493	36,362
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
14. लोक ऋण चुकौतियां	3,948	3,943	3,500	4,673	6,701
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़कर)	1,557	2,198	3,021	3,092	3,169
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	2,320	1,671	400	1,496	3,444
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	71	74	79	85	88
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	29,578	36,076	34,812	39,166	43,063
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	10,577	12,351	13,043	14,493	20,111
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	40,155	48,427	47,855	53,659	63,174
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	1,137	920	314	1,508	12
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870	(-)3,512	(-)5,597
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	990	411 [#]	(-) 82	510	(-)1,363
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	3,155	3,359	3,788	4,022	4234
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,612	3,357	2,895	3,634	3,506
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	31	23	2	19	38
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	25	23	2	19	25
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	06	-	-	-	13
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	6.40	16.17	-	-	3.61
				(0.96)	
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,14,239 (10.09)	1,25,634 (9.97)	1,38,351 (10.12)	1,53,845 (11.20)	1,65,472 (7.56)
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	41,197	47,244 ^{##}	51,030	54,299	62,212
29. बकाया गारंटियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,714	4,550	4,394	4,309	1,947
30. अधिकतम गारंटियां राशि (वर्षान्त)	9,658	12,320	8,848	5,181	640
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	12	12	11	10	13
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	143	188	176	181	268
भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचकांक					
I जुटाए गए संसाधन (अनुपात)					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
स्वयं का कर-भिन राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.22	0.26	0.23	0.22	0.22
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.09	1.22	1.14	1.11	1.18

राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.79	0.86	0.85	0.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.33	0.37	0.37	0.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.29	0.26	0.26	0.28	0.28
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.10	0.11	0.13	0.14
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (अनुपात)					
1. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.00	0.73	0.23	0.98	0.01
2. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-1.89	-4.65	-2.80	-2.28	-3.38
3. प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.87	-1.97	-0.06	0.33	-0.82
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.38	0.37	0.35	0.38
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.76	1.80	1.86	1.75	2.02

@ उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

* राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 69)

बजट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. **“वर्ष के लेखे अथवा वास्तविक”** - यह, अप्रैल को प्रारंभ होने वाले तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों की वह राशि होती है जो लेखांकन प्राधिकारी की बहियों में अंततः दर्ज की गई हो (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अनुसार)। अंतिम लेखों से तात्पर्य है अलेखांकित लेखे।
2. **“योजना, प्रस्ताव अथवा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति”**-यह समक्ष प्राधिकारी द्वारा व्यय करने के उद्देश्य से उसकी औपचारिक स्वीकृति होती है। यह उस वर्ष विशेष के दौरान जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य हेतु बजट में निधियों के प्रावधान के साथ ली गई वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है।
3. **“वार्षिक वित्तीय विवरण”**- यह बजट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे संसद/राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
4. **“विनियोजन”**- इसका अर्थ है विनियोजन की किसी पृथक इकाई या भाग के तहत व्यय हेतु संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि जो संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखी गई है।
5. **“प्रभारित व्यय”**- इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधायिका की सम्मति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होता।
6. **“भारत/राज्य की समेकित निधि”**- संघ/राज्य सरकार का समस्त राजस्व, उनके द्वारा उठाए गए ऋण व ऋण की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि भारत/राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि से संविधान द्वारा प्रदत्त पद्धति में किसी उद्देश्य हेतु कानून के अनुरूप ही धन का विनियोजन किया जा सकता है।
7. **“आकस्मिक निधि”**- यह अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य वर्ष के दौरान उत्पन्न अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिका/सरकार को वह अग्रिम प्रदान करना है जिसका संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकरण लम्बित है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/राज्य विधायिका से अनुमोदित होने के पश्चात् की जाती है।
8. **“नियंत्रक अधिकारी (बजट)”**- इसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे व्यय करने पर नियंत्रण अथवा राजस्व के संग्रहण की जिम्मेदारी विभाग द्वारा सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है।
9. **“आहरण एवं संवितरण अधिकारी”**- इसका तात्पर्य कार्यालय प्रमुख तथा कोई भी उस अन्य अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की ओर से बिलों के आहरण एवं भुगतान करने हेतु नियुक्त (पदोन्नत) किया गया है। इस शब्द में इस प्रकार के कार्य का स्वयं निर्वहन करने वाले विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित है।
10. **“अतिरिक्त अनुदान”**- अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान के ऊपर एवं अधिक व्यय की वह राशि जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 से अंतर्गत संसद/राज्य विधायिका से अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया है तथा जिसका विनियमन अपेक्षित है।

11. **“नई सेवा”**— जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1)(क)/250(1)(क) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ उस व्यय से है जो नई नीति निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ तथा संसद/राज्य विधायिका के संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था तथा इसमें निवेश के नए रूप अथवा नई गतिविधि भी शामिल है।
12. **“सेवा के नए विलेख”**— इससे तात्पर्य है अपेक्षाकृत वह बड़ा व्यय जो मौजूदा गतिविधि के आगे बढ़ जाने से उत्पन्न होता है।
13. **“लोक लेखा”**— इसका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। निक्षेप, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जैसा प्राप्तियां व संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं बनते, वे लोक लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा से संवितरण हेतु संसद/राज्य विधायिका की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई धनराशि नहीं होती।
14. **“पुनर्विनियोजन”**— इससे तात्पर्य उस अन्तरण से है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से बचत का अन्तरण उसी अनुदान अथवा प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया जाता है।
15. **“संशोधित प्राक्कलन”**— यह एक वित्तीय वर्ष हेतु संभावित प्राप्तिओं अथवा व्यय का प्राक्कलन है जो पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष हेतु पहले से दर्ज तथा प्रत्याशित लेनदेन के संदर्भ में तैयार किया जाता है।
16. **“अनुदानों की अनुपूरक मांग”**— यह वह अनुपूरक मांगों का विवरण है, जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाया गया हो। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी अथवा वास्तविक/नकद हो सकती है।
(क) **“नकद अनुपूरक”** मूल बजट प्रावधानों से अधिक व ऊपर लिए जाने वाले अनुदान होते हैं तथा इनके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आंभटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में तथा उचित उद्यम के पश्चात् प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जा रहा है।
(ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग हैं अर्थात् दत्तमत राजस्व, प्रभारित राजस्व, दत्तमत पूंजीगत एवं प्रभारित पूंजीगत **तकनीकी अनुपूरक**, राज्य विधायिका का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी एक प्रभाग की बचतों को किसी अन्य प्रभाग में उपयोग करने की अनुमति देता है।
(ग) **सांकेतिक (टोकन) अनुपूरक** अनुदान के समान प्रभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
17. **“मुख्य शीर्ष”**— इससे तात्पर्य है राज्य के प्राप्तिओं एवं संवितरणों को दर्ज करने एवं वर्गीकरण करने के उद्देश्य के लिए लेखाओं का मुख्य शीर्ष। मुख्य शीर्ष विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आता है जो सामान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के ‘कार्य’ के समान है।
18. **“उप-मुख्य शीर्ष”**— इसका अर्थ उस मध्यावर्ती लेखा शीर्ष से है जो मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य तब प्रस्तुत किए जाते हैं जब लघु शीर्षों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उन्हें सरलीकृत करते हुए ऐसे मध्यावर्ती शीर्ष के तहत समूहबद्ध किया जा सकता है।

19. **“लघु शीर्ष”**- इसका अर्थ मुख्य शीर्ष अथवा उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। किसी मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले ‘कार्यक्रम’ की पहचान करता है।
20. **“उप शीर्ष”**- इसका अर्थ है लघु शीर्ष के अधीनस्थ एक लेखा इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष अथवा कार्यक्रम के तहत योजना अथवा संगठन को दर्शाता है।
21. **“मुख्य कार्य”**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभागों को छोड़कर, समय-समय पर बढ़ जाती है।
22. **“लघु कार्य”**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभागों को छोड़कर, समय-समय पर नहीं बढ़ती।
23. **“रूपांतरित अनुदान अथवा विनियोजन”**- यह किसी विनियोजन उप-शीर्ष को आबंटित वह राशि है जो सक्षम अधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन अथवा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान संस्वीकृति के पश्चात दी गई है।
24. **“अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन”**- इसका अर्थ विनियोजन अधिनियम में सम्मिलित उस प्रावधान से है जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान, उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित राशि से अधिक हुए व्यय की पूर्ति की जाती है।
25. **“नए व्यय की अनुसूची”**- इसका अर्थ आगामी वर्ष हेतु बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण है।
26. **“संकेतिक (टोकन) मांग”**- इसका तात्पर्य अत्यन्त कम अथवा संकेतिक राशि के लिए विधान सभा में की गई मांग से है, उदाहरणार्थ इसे संस्वीकृत बजट अनुदान से हुई बचत से किसी नई सेवा के पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.7; पृष्ठ 77)

विभिन्न अनुदान जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत					
1.	02	राज्यपाल एवं मंत्री परिषद	21.20	4.03	19.01
2.	03	न्याय प्रशासन	200.01	34.57	17.28
3.	04	सामान्य प्रशासन	239.09	54.07	22.61
4.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1748.55	651.63	37.27
5.	06	आबकारी एवं कराधान	112.99	14.32	12.67
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1433.06	212.47	14.83
7.	08	शिक्षा	6641.11	1110.61	16.72
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2205.94	377.72	17.12
9.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	3569.94	736.83	20.64
10.	11	कृषि	487.02	33.44	6.87
11.	12	बागवानी	374.99	78.64	20.97
12.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2586.54	227.91	8.81
13.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	406.03	69.81	17.19
14.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	74.65	22.69	30.40
15.	16	वन एवं वन्य जीव	592.47	145.25	24.52
16.	17	चुनाव	97.74	11.05	11.31
17.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	234.06	100.52	42.95
18.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1154.39	99.25	8.60
19.	20	ग्रामीण विकास	1463.63	351.17	23.99
20.	21	सहकारिता	34.74	4.79	13.79
21.	23	विद्युत विकास	545.69	128.76	23.60
22.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.33	2.14	7.06
23.	25	सड़क एवं जल परिवहन	364.52	12.92	3.54
24.	26	पर्यटन एवं नागरिक	89.16	56.20	63.03
25.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	358.39	39.28	10.96
26.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	526.12	93.30	17.73
27.	29	वित्त	6781.25	1212.96	17.89
28.	30	विविध सामान्य सेवाएं	97.28	11.32	11.64
29.	31	जनजातीय विकास	1360.02	371.39	27.31
30.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1424.41	513.37	36.04
राजस्व-प्रभारित					
31.	03	न्याय प्रशासन	53.44	11.36	21.26
32.	04	सामान्य प्रशासन	15.56	2.02	12.98
33.	29	वित्त	4550.00	315.99	6.94
34.	30	विविध सामान्य सेवाएं	3.06	3.06	100.00
पूंजीगत- दत्तमत					
35.	03	न्याय प्रशासन	15.20	6.74	44.34

36.	04	सामान्य प्रशासन	21.94	21.85	99.59
37.	05	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	10.90	7.32	67.16
38.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	82.22	20.98	25.52
39.	08	शिक्षा	107.25	30.23	28.19
40.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	198.37	25.30	12.75
41.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	1808.14	183.94	10.17
42.	11	कृषि	74.65	8.48	11.36
43.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	20.35	5.42	26.63
44.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	303.99	115.34	37.94
45.	16	वन एवं वन्य जीव	18.43	6.34	34.40
46.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	46.90	19.06	40.64
47.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	19.97	14.48	72.51
48.	20	ग्रामीण विकास	20.03	6.04	30.15
49.	23	विद्युत विकास	679.39	157.47	23.18
50.	25	सड़क एवं जल परिवहन	210.58	18.53	8.80
51.	26	पर्यटन एवं नागरिक	66.29	28.95	43.67
52.	29	वित्त	13.78	6.35	46.08
53.	30	विविध सामान्य सेवाएं	41.24	3.50	8.49
54.	31	जनजातीय विकास	439.52	94.04	21.40
55.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1269.17	231.62	18.25
पूँजीगत-दत्तमत					
56.	03	न्याय प्रशासन	1.17	1.17	100.00
57.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	104.46	97.54	93.38
कुल			45451.32	8225.53	

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद : 3.3.7; पृष्ठ 78)

विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां निरंतर बचते (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) हुई

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	निरंतर बचते				
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व- दत्तमत							
1.	03	न्याय प्रशासन	12.53	9.82	10.14	25.20	34.57
2.	04	सामान्य प्रशासन	17.03	11.62	13.13	18.83	54.07
3.	06	उत्पाद शुल्क एवं कराधान	3.78	1.84	7.65	13.79	14.32
4.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	73.42	37.08	81.89	143.83	212.47
5.	08	शिक्षा	1076.22	864.96	665.02	955.16	1110.61
6.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	366.81	295.90	211.66	330.83	377.72
7.	11	कृषि	38.47	27.04	11.3	72.67	33.44
8.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	35.36	35.18	43.67	68.34	69.81
9.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	31.40	28.40	16.81	30.57	22.69
10.	16	वन एवं वन्य जीव	33.23	57.50	85.36	130.31	145.25
11.	18	उद्योग खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	12.23	8.46	11.45	96.03	100.52
12.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	47.43	20.78	55.55	28.84	99.25
13.	20	ग्रामीण विकास	208.74	121.61	402.93	383.93	351.17
14.	21	सहकारिता	8.45	10.23	3.54	3.61	4.79
15.	23	विद्युत विकास	1.49	146.35	131.18	53.45	128.76
16.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.21	6.02	2.81	1.19	2.14
17.	25	सड़क एवं जल परिवहन	1.43	1.06	2.1	2.25	12.92
18.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	63.72	71.98	199.27	39.93	39.28
19.	29	वित्त	228.94	97.70	266.88	939.93	1212.96
20.	30	विविध सामान्य सेवाएं	13.99	13.00	7.38	8.97	11.32
21.	31	जनजातीय विकास	123.39	177.85	242.34	325.72	371.39
22.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	31.81	321.14	405.83	390.87	231.62
राजस्व-दत्तमत							
23.	03	न्याय प्रशासन	6.87	5.95	1.73	7.94	11.36
पूंजीगत-दत्तमत							
24.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.01	2.93	4.77	8.94	25.30
25.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	32.44	18.95	12.84	1.33	115.34
26.	29	वित्त	5.2	1.51	7.98	6.27	6.35
27.	31	जनजातीय विकास	17.38	20.88	58.21	82.25	94.04
28.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	108.71	99.31	132.87	154.08	231.62

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.4 ; पृष्ठ 87)

उन योजनाओं के विवरण जहां प्रावधान किए गए (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

क्रम सं०	उप-शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	3312018000	0	0
2.	5000 ब्रॉयलर स्कीम	20000000	0	0
3.	स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर-सरकारी बोर्ड/संस्थानों को सहायता	300000000	648000000	0
4.	मृत/विकलांग रक्षा कर्मी के परिवारों को सहायता	15000000	38000000	0
5.	सामान्य वर्ग के वित्तीय रूप से पिछड़े छात्रों हेतु स्कॉलरशिप देना	35000000	0	0
6.	श्रेष्ठ लिंगानुपात हेतु पंचायतों को पुरस्कार	15000000	0	0
7.	गरीबी रेखा से नीचे कृषक बकरी पालन योजना	20000000	0	0
8.	भवन(जेल विभाग)	15000000	0	0
9.	नकद अंशदान	350000000	310000000	0
10.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पशुचारा सब्सिडी	40000000	0	0
11.	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राष्ट्रीय विकास बैंक	337000000	0	0
12.	राजस्व विभाग के भवनों का निर्माण	20000000	0	0
13.	बस स्टैंड का निर्माण	155300000	0	0
14.	उप-मण्डल/खण्ड स्तर पर बस स्टैंड का निर्माण	40300000	0	0
15.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण	13500000	0	0
16.	जिला एटॉर्नी कार्यालयों का निर्माण	30000000	0	0
17.	कन्या छात्रावासों का विवरण	35000000	0	0
18.	अन्य पिछड़ा वर्ग/छात्र/छात्रा छात्रावासों का निर्माण	39400000	0	0
19.	पंचायत इंस्पेक्टर/सह-इंस्पेक्टर के आवास का निर्माण	11500000	0	0
20.	नई दिल्ली में राजकीय आराम गृह का निर्माण	0	209000000	0
21.	आवास हीन गराबों हेतु गांधी कुटीर योजना/इंदरा आवास योजना के अंतर्गत गृह का निर्माण	36900000	0	0
22.	अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन	250000000	0	0
23.	फसल विविधिकरण परियोजना (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेन्सी) इएपी चरण-II	15000000	0	0
24.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से की गई कटौती राशि	-2870000000	5180600000	0
25.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	44000000	0	0
26.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	321800000	0	0
27.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	123200000	0	0
28.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी प्रशासन	22000000	0	0
29.	कर्मचारी राज्य बिमा योजना (चिकित्सालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र)	27050000	0	0
30.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम में इक्विटी अंशदान	450000000	0	0
31.	अनुग्रह भुगतान	750000000	304900000	0
32.	क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति ट्रेनेज तथा सीवरेज कार्यों पर व्यय	310000000	1340000000	0
33.	सरकारी कॉलेजों पर व्यय	120000000	0	0
34.	द्वितीयक स्तर के विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा पर व्यय	10200000	0	0
35.	सड़कों के रखरखाव पर व्यय	692886000	0	0
36.	वीरता पुरस्कार	25000000	0	0
37.	मंदिरों हेतु परिक्रमी निधि के लिए सहायता अनुदान	30000000	0	0
38.	सरकारी आवासीय भवन	20000000	0	0
39.	ग्राम गौरव पट्ट	40000000	0	0
40.	डेयरी सहकारी सोसायटी को अनुदान	30000000	0	0
41.	गौवंश संवर्धन बोर्ड को अनुदान	50100000	0	0
42.	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना	31500000	0	0
43.	बागवानी विकास परियोजना	789700000	0	0
44.	पर्यटन हेतु बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम	523700000	33241000	0
45.	पर्यटन हेतु बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम	176300000	0	0
46.	हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश	156200000	0	0
47.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वित्त विकास निगम में निवेश	85200000	0	0
48.	जल से कृषि को बल	250000000	0	0

49.	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	21200000	0	0
50.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजनाओं हेतु ऋण	470000000	0	0
51.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	620000000	0	0
52.	राजीव आवास योजना के अंतर्गत गृहों का रखरखाव	183000000	0	0
53.	प्रमुख जिला सड़कें	250000000	3000000	0
54.	नई दिल्ली में हिमाचल भवन का प्रबंधन	400000000	35000000	0
55.	महिला मण्डल को अनुरूप प्रोत्साहन अनुदान (उत्पादन गतिविधि)	129000000	0	0
56.	मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र	150000000	0	0
57.	मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना	300000000	0	0
58.	मुख्यमंत्री हरित-गृह क्रांति योजना	300000000	0	0
59.	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना	1165000000	0	0
60.	राष्ट्रीय रूबन योजना	1693000000	0	0
61.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	226000000	0	0
62.	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशन भोगी	424000000	0	0
63.	वित्तयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान	597200000	0	0
64.	पॉलीहाऊस तथा लघु सिंचाई परियोजना	200000000	0	0
65.	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	500000000	1000	0
66.	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	4428000000	0	0
67.	प्रधानमंत्री आवास योजना	880000000	0	0
68.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	3731000000	0	0
69.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	630000000	0	0
70.	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	639000000	1000	0
71.	भेड़ एवं बकरी पालन संवर्धन	103400000	0	0
72.	राजीव गांधी डिजिटल योजना (लैपटॉप / टेबलेट)	1638000000	0	0
73.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज टांडा में क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्र	0	48844000	0
74.	आवासीय सहायता का निर्माण व मरम्मत	2500000000	6098000	0
75.	सड़कों एवं पुलों की मरम्मत	8540000000	2450000000	0
76.	ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित औद्योगिक केन्द्र	15405000	0	0
77.	ग्रामीण सड़क विश्व बैंक	2500000000	0	0
78.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्रिक्स) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना	1000700000	0	0
79.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	1000000000	0	0
80.	ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों हेतु राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आवास की मरम्मत हेतु योजना	478000000	0	0
81.	श्रेष्ठ शहर योजना	200000000	0	0
82.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	3257000000	0	0
83.	निर्माण/उन्नयन हेतु विशिष्ट राज्य वित्त आयोग पुरस्कार	200000000	0	0
84.	राज्य नवाचार (इनावेशन) निधि	200000000	0	0
85.	खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन	829000000	0	0
86.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु राज्य मिशन	126000000	0	0
87.	स्वच्छता योजना के तहत राज्य सम्मान	217000000	0	0
88.	प्लास्टिक के टोकरो (क्रेट्स) पर सब्सिडी	200000000	0	0
89.	मशीन एवं उपकरण पर औजार एवं संयंत्र व्यय	130400000	0	0
90.	मौजूदा सूचना संचार तकनीकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	3290000000	0	0
91.	मौजूदा सूचना संचार तकनीकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	450000000	0	0
92.	मौजूदा सूचना संचार तकनीकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	1260000000	0	0
93.	नव पॉलिटिकी की स्थापना/उन्नयन	178000000	0	0
94.	विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना	1080000000	0	0
95.	विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना	3023000000	0	0
96.	विश्व बैंक राज्य सड़कें	7500000000	0	0
	योग	16055139000	10606685000	0

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.5; पृष्ठ 90)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	2018-19 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
										जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
1.	5	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245	05	101	02	437.57	283.97	453.57	96.47	62.61
2.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	05	101	05	17.65	17.65	31.89	55.34	55.34
3.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	06	200	08	12.00	12.00	17.00	70.59	70.59
4.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211	00	200	08	14.54	14.54	14.54	100.00	100.00
5.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210	03	105	06	15.41	15.39	15.78	97.68	97.53
6.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	2216	05	053	01	16.19	12.87	24.47	66.19	52.58
7.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	4216	01	106	01	31.27	26.30	37.75	82.83	69.67
8.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	5054	04	337	11	23.15	17.26	27.16	85.26	63.57
9.	11	कृषि	2401	00	109	31	31.18	25.42	38.08	81.86	66.75
10.	12	बागवानी	2401	00	119	22	12.34	12.17	21.73	56.80	56.03
11.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2711	01	799	01	18.47	13.99	24.03	76.84	58.22
12.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701	20	800	02	41.47	35.53	55.00	75.40	64.60
13.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702	00	101	03	34.25	28.21	42.02	81.50	67.14
14.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702	00	101	04	17.52	15.64	23.91	73.30	65.42
15.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4705	00	313	01	8.96	15.10	23.14	38.71	65.25
16.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202	02	105	03	30.96	22.23	42.62	72.64	52.15
17.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	2215	02	105	04	13.53	11.97	19.96	67.77	59.98
18.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	2217	80	192	14	13.89	13.89	24.24	57.30	57.30
19.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	4215	02	106	02	54.31	35.64	63.80	85.12	55.86
20.	29	वित्त	2049	01	101	21	22.56	22.56	22.56	100.00	100.00
21.	29	वित्त	2049	01	101	23	15.86	15.86	15.86	100.00	100.00
22.	29	वित्त	2049	01	101	49	42.15	42.15	42.15	100.00	100.00
23.	29	वित्त	2049	01	101	51	17.83	17.83	17.83	100.00	100.00
24.	29	वित्त	2049	01	101	56	16.40	16.40	16.40	100.00	100.00
25.	29	वित्त	2049	01	200	05	11.96	11.96	11.96	100.00	100.00
26.	29	वित्त	2049	03	104	01	1120.96	1120.96	1143.72	98.01	98.01
27.	29	वित्त	2054	00	095	04	13.19	11.44	17.95	73.50	63.70
28.	31	जनजातिय विकास	2215	01	796	09	14.83	14.83	17.95	82.64	82.64
29.	31	जनजातिय विकास	2702	80	796	08	11.27	11.27	11.27	100.00	100.00
30.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	2401	00	789	49	11.22	10.21	12.53	89.52	81.49
31.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4202	02	789	06	13.30	13.30	13.60	97.77	97.77
32.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4215	01	789	01	12.04	10.69	15.12	79.62	70.73
33.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4215	01	789	04	22.92	17.73	35.33	64.87	50.19
34.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4701	20	789	04	12.97	10.61	15.00	86.45	70.71
35.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4701	21	789	01	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00
36.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4702	00	789	04	12.50	11.46	16.36	76.43	70.05
37.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4801	01	789	03	45.00	45.00	56.02	80.33	80.33
38.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	5054	04	789	04	30.43	22.09	41.66	73.05	53.02
योग							2307.05	2071.12	2538.96		

स्रोत: विनियोजन लेख/बी.एल.सी.

परिशिष्ट-4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.15; पृष्ठ 112)

स्वायत्त निकायों की सूची: कुल = 54 (18+36)

क्रमांक	निकाय का नाम / प्राधिकरण		विभाग जहां लेखापरीक्षा की गई
1	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला		धारा 19(3) के तहत की गई लेखापरीक्षा तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया
2	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड		
3	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण		
4	हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन एवं बस स्टैंड विकास प्राधिकरण		
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नियामक आयोग		
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला		
7	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला		
8	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर		
9	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर		
10	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, नाहन		
11	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऊना		
12	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला		
13	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रामपुर (किन्नौर)		
14	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मंडी		
15	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कुल्लू		
16	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला (कांगड़ा)		
17	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, सोलन		
18	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चम्बा		
19	नियंत्रक, चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	--	धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई तथा प्रतिवेदन तैयार कर जारी किया गया।
20	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन	--	
21	बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणन संस्था, बालूगंज, शिमला	--	
22	पशुधन विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला	हाँ	
23	हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध सहकारी उत्पादक संघ, टुडू	हाँ	
24	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ लिमिटेड	हाँ	
25	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के लिए राज्य परिषद कुसुमपट्टी, शिमला	-	
26	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	-	
27	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हमीरपुर	--	
28	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बिलासपुर	--	
29	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नाहन	--	
30	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ऊना	--	
31	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, शिमला	--	
32	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किन्नौर	--	
33	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मंडी	--	
34	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कुल्लू	--	
35	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, धर्मशाला (कांगड़ा)	--	
36	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सोलन	--	
37	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चम्बा	--	
38	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, केलांग	--	
39	ऐड्स रोकथाम संस्था	--	
40	हिमाचल प्रदेश नर्सिंग पंजीकृत परिषद	--	धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई तथा प्रतिवेदन तैयार कर जारी किया गया।
41	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-शिमला	--	
42	भाषा, कला और संस्कृति अकादमी	हाँ	
43	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, सोलन	--	
44	सामाजिक कल्याण बोर्ड, शिमला	--	

क्रमांक	निकाय का नाम / प्राधिकरण		विभाग जहां लेखापरीक्षा की गई
45	बाल कल्याण परिषद, शिमला	--	
46	सर्व शिक्षा अभियान, शिमला	--	
47	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	--	
48	रिन चैन जंगपो संस्था कांगड़ा	--	
49	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (हिमाचल प्रदेश)	--	
50	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	--	
51	कर्मचारी राज्य बीमा संस्था, शिमला	--	
52	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	हाँ	
53	राज्य आपदा प्राधिकरण	--	
54	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदा एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	--	

